



**JALAUN POLICE**

**“Operation Conviction”**

**दिनांक 16.05.2026**

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन व कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त मुवीन पुत्र कल्लू कबाडी नि० मु० नया पटेल नगर कोतवाली कोंच जनपद जालौन द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की माता के साथ मारपीट कर 10,000/- रुपये ले जाने के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 263/15 धारा 459/380/411 भादवि में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त उपरोक्त को **10 वर्ष का कारावास एवं 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली कोंच पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. मुवीन पुत्र कल्लू कबाडी उपरोक्त को **दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।



हृदेश पाण्डेय  
ADGC क्रिमिनल



श्री परमहंस तिवारी  
प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल



हे०का० महेन्द्र प्रताप  
कोर्ट मुहरिर



का० हृदेश कुमार  
कोर्ट पैरोकार